पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

अक्तूबर, 2022 मास की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं:-

अक्तूबर, 2022 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

1. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 8 संशोधित करने के लिए संशोधन अधिसूचना जारी की गई है और दिनांक 07.10.2022 की अधिसूचना सं. जीएसआर 770 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई है। संशोधित नियम 8 के अनुसार, राष्ट्रपति का अनुमोदन केवल ऐसे पेंशनभोगी के पेंशन या उपदान को रोकने/प्रत्याहृत करने के आदेश जारी करने के लिए अपेक्षित होगा, जो उस पद से सेवानिवृत्त हुआ जिसके लिए राष्ट्रपति नियुक्ति प्राधिकारी हैं, और अन्य मामलों में, प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के सचिव पेंशन या उपदान को रोकने/प्रत्याहृत करने के आदेश जारी करने के लिए सक्षम होगा, यदि पेंशनभोगी किसी भी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों में सेवा की अवधि के दौरान गंभीर अवचार या उपेक्षा का दोषी पाया जाता है। ऐसे मामलों में, जहां राष्ट्रपति नियुक्ति प्राधिकारी नहीं है, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

2. पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत के आदेश दिनांक 8.10.2022 को जारी किए गए थे। अनुग्रह राशि के डीआर आदेश 31.10.2022 को जारी किए गए थे। आठ और कार्यालय ज्ञापन जारी किए गए जिनमें महंगाई राहत और संराशीकरण से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट किया गया।

3. माननीय डॉ. जितेंद्र सिंह, राज्यमंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तत्वावधान में, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दिनांक 18/10/2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अनुभव पुरस्कार समारोह, सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श (पीआरसी), एकीकृत पेंशनर्स पोर्टल का शुभारंभ और बैंकों की प्रदर्शनी का आयोजन किया। सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श कार्यशाला से 600 सेवानिवृत्त अधिकारी लाभान्वित हुए।

4. **विशेष अभियान 2.0 (SCDPM) गतिविधियां**

- विभिन्न मंत्रालयों के साथ 4200 पेंशनभोगियों की शिकायतों को अभियान मोड में लिया गया: एससीडीपीएम 2.0 अभियान के दौरान, विभाग ने शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने और 68 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए "सुविधापूर्ण जीवन" सुनिश्चित करने के लिए 4200 लंबित पेंशन मामलों का समाधान किया है। विभाग नियत समय अवधि के भीतर सभी शिकायतों का समाधान करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ अंतर-मंत्रालयी बैठकें आयोजित कर रहा है। पेंशन शिकायतों पर कुल 12 अपीलों का भी निस्तारण किया गया है।

- प्रासंगिक परिपत्रों को दोहराते हुए पेंशनभोगियों के लिए "सुविधापूर्ण जीवन" पर विशेष बल दिया गया: विभाग ने नियमों/प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए 60 परिपत्र जारी किए हैं।

- हजारों ई-फाइलों सहित भौतिक पुरानी फाइलों को नष्ट किया गया: कुल 3569 भौतिक फाइलें और 3747 ई-फाइलें, जिनमें कार्रवाई पूरी हो चुकी है, बंद की गई।

- पंजीकृत पेंशनभोगी संघ कार्यालयों को स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनाया गया: कुल 41 स्वच्छता अभियान आयोजित किए हैं।

सीपेनग्राम्स

5. सीपेनग्राम्स में पंजीकृत शिकायतों का सामयिक और गुणात्मक निपटान सुनिश्चित करने के लिए, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दिनांक 28.10.2022 को निदेशक (पीडब्ल्यू) की अध्यक्षता में 04 मंत्रालयों/विभागों/संगठन (अर्थात् कोयला मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड) के साथ भारत वीसी के माध्यम से अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठक आयोजित की।

6. इस माह के दौरान, 3800 शिकायतें दर्ज की गई और 3842 का निपटान किया गया। दिनांक 31 अक्तूबर, 2022 को अंत शेष 2923 है। विस्तृत स्थिति निम्नानुसार है:-

	दिनांक 01/10/2022 को अग्रानीत	माह के दौरान प्राप्त शिकायतें	माह के दौरान निपटाई गई शिकायतें	एक माह के अंदर निपटाई गई शिकायतें	31/10/2022 को लंबित कुल शिकायतें
कुल	2965	3800	3842	1600	2923

भविष्य पोर्टल

7. भविष्य, विभाग द्वारा विकसित एक वेब आधारित ऑनलाइन पेंशन संस्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली है। यह प्रणाली सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी और प्रशासनिक प्राधिकारियों दोनों को पेंशन प्रक्रिया की निगरानी करने और विलंब को ट्रैक करने में मदद करती है। प्रशासनिक प्राधिकारियों को विभिन्न पेंशन नियमों के उपबंधों के अनुसार इनबिल्ट ऑटोमेटिक परिकलन से भी लाभ होता है। दिनांक 02.11.2022 की स्थिति के अनुसार, 97 मंत्रालयों/विभागों/शीर्ष निकायों के मुख्य सचिवालय और 817 संबद्ध कार्यालयों में 7908 डीडीओ के माध्यम से भविष्य लागू है। उमंग प्लेटफॉर्म पर एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसके द्वारा विभिन्न हितधारकों द्वारा 'भविष्य' पर की जा रही कार्रवाई देखी जा सकती है। दिनांक 02.11.2022 की स्थिति के अनुसार, इस प्रणाली के माध्यम से 37920 सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मामले कार्रवाई के विभिन्न चरणों में है। इसके अतिरिक्त, इस ऐप द्वारा अब तक 176721 पेंशनभोगियों के लिए पीपीओ तैयार किए गए और उन्हें जारी किया गया। 'भविष्य' प्रणाली के माध्यम से अक्तूबर, 2022 मास में 2385 पीपीओ जारी किए गए। 'भविष्य' को ई-पीपीओ जनरेट करने के लिए पीएफएमएस (PFMS) पेंशन मॉड्यूल के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है।

8. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के लिए भविष्य पर पांच (5) प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

अनुभव

अनुभव: मार्च, 2015 में योजना के आरंभ होने के बाद से, 8756 आलेख प्रकाशित किए गए हैं और दिनांक 31.10.2022 तक 'अनुभव पोर्टल' के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा 4716 आलेख प्रकाशन हेतु प्रक्रियाधीन हैं। अक्तूबर, 2022 मास में, अनुभव के 24 आलेख प्रकाशित किए गए।

संकल्प

संकल्प: 'संकल्प' पहल के अंतर्गत विभाग ने अब तक 48 पूर्व-सेवानिवृत्ति परामर्श (पीआरसी) कार्यशालाएं आयोजित की हैं, जिनसे 6572 कर्मचारियों को लाभ हुआ है।

जेम (GeM) के माध्यम से खरीद

जेम(GeM) के माध्यम से खरीद:- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अक्तूबर, 2022 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, फर्नीचर और स्टेशनरी आदि (उत्पादों के लिए आदेश) की आपूर्ति के लिए 1,10,065/- रुपये की राशि के लिए 13 (तेरह) आदेश और सेवाओं (अल्प अवधि के लिए वाहनों को किराए पर लेना और ईपीएबीएक्स (EPABX) प्रणाली की वार्षिक रखरखाव सेवाएं) के लिए 1,24,165/- रुपये की राशि के लिए 05 (पांच) आदेश जेम के माध्यम से दिए हैं।

*****